प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट सिलवाला खुर्द)

1. बसन्तसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
–वादी

बनाम

1. हरबन्शसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बरः–115/2018
अन्तर्गत धाराः–53,88 आरटीए
निर्णय दिनांकः–18.6.2018

वादी की ओर से श्री अब्दुल सत्तार जोईया एडवोकेट व प्रतिवादी की ओर से श्री हरबन्शसिंह एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नं.8 एसएलडब्ल्यू खाता संख्या 143/147,93/63,116/120 में वादी व प्रतिवादी के नाम से दर्ज संयुक्त खाता में कुल आराजी में से–

(1)–वादी बसन्तसिंह को चक नं.8 एसएलडब्ल्यू के पं.न.208/304 मु.नं.10 कि.नं. 8,9,10,14,15 कुल 1.265 है. मय गैर मुमकिन आराजी।
(2)–प्रतिवादी हरबन्शसिंह को चक नं.8 एसएलडब्ल्यू के पं.न. 208/304 मु.नं.10 कि.नं. 13,16,17,18,24,25 कुल 1.518 है. मय गैर मुमकिन आराजी।

उपरोक्त अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 हरबन्शसिंह का खाता संख्या 143/147 में से 0.253 है. रकबा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 18.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत सिलवाला खुर्द में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर,टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	0	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रर्दशों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	0	जोड़	0
			0

Scanned by CamScanner